

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में पारित
 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सुरसुरा दिनांक 1-11-2021
 न्यायालय शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़, जिला-अजमेर
 क्रमांक/प्रशा0गांवों के संग अभियान/2021/669

दिनांक :- 01-11-2021

-आदेश:-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र, प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प सुरसुरा
 में मजमें आम में जानकारी अनुसार, रिपोर्ट पटवारी हल्का सुरसुरा जांच भूअ.नि. —
 सरपंच ग्राम पंचायत — का प्रमाण पत्र, तहसीलदार रूपनगढ़
 की रिपोर्ट/ अनुशांषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में
 ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ़ जिला- अजमेर की जमाबन्दी संवत् 2075 (वर्ष 2019 से स्थायी) में
 के खाता संख्या 320, 321 में वर्तमान में दर्ज इन्द्राज को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया
 जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र0सं0	नाम ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान इन्द्राज (अशुद्ध प्रविष्ट)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।
1	<u>सुरसुरा</u>	<u>320</u>	<u>बजरंगदास पुरू हरदीनदास जाति साधू</u>	<u>बजरंगदास पुरू हीरादास जाति साधू</u>
2	<u>do</u>	<u>321</u>	<u>do</u>	<u>do</u>

do
 उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़
 जिला-अजमेर
 दिनांक- 01-11-2021

क्रमांक/सम/2021/1241-42

प्रतिलिपि-

1. तहसीलदार रूपनगढ़ को भिजवाकर लेख है कि मुताबिक आदेश के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करवाकर पालना करें।
2. प्रार्थी श्री..... को सूचनार्थ।
3. आदेश पत्रावली

do
 उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़
 जिला-अजमेर
 रूपनगढ़ (अजमेर)

